



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong – 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/2229005. फ़ैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007. ई-मेल E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

जन सूचना संख्या - 06/2017

दिनांक 30 नवम्बर, 2017

विषय- प्रति अदायगी के अनुदान के उद्देश्य से लिए गए नमूने- सम्बन्धी

सभी का ध्यान दिनांक 06.04.1995, परिपत्र संख्या 34/95- सीमा शुल्क, 31.10.1997 के 57/97-सीमा शुल्क एवं 25/2005- सीमा शुल्क प्रसंस्करण मुद्रा सम्बन्धी प्रति अदायगी के अनुदान के उद्देश्य से लिए गए नमूने एवं कुछ स्थितियों में नमूनों के आवश्यकताओं के मद्देनजर छूट दे रहे हैं।

२. इस सम्बन्ध में, अन्य सुविधाजनक व्यापार के आदेश में और व्यापार करने के तरीके को बढ़ाने के उद्देश्य से, सीबीईसी ने दिनांक 06.04.1995 के परिपत्र संख्या 34/95- सीमा शुल्क, 31.10.1997 के 57/97-सीमा शुल्क एवं 25/2005- सीमा शुल्क को रद्द कर दिया है। निर्यात शिपमेंट जोखिम प्रबंधन में प्रदान किए गए जोखिम मापदंड के नियमों में स्वीकार्य बर्ताव के लिए अधीन रहेंगे। जहां भी निर्यात समझौते के आकलन या परीक्षा के लिए चुना जाता है, सीमा शुल्क के सहायक या उप आयुक्त के रैंक के अधिकारी हो वे प्रत्येक मामले की गुणवत्ता की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित करें। चूंकि प्रतिअदायगी भुगतान नमूनों की परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले के अधीन है, वरिष्ठ स्तर पर नियमित आधार पर निगरानी करना चाहिए कि नमूने केवल आवश्यक के अनुसार और मामले तय समय में निर्यात किये गये दिनांक से तीस दिन के भीतर हैं बंद हो जाए। किसी भी विशिष्ट इंटेलिजेंस या दुरुपयोग, धोका ईत्यादी के मामलों में सीमा शुल्क अधिकारी नमूने ले सकते हैं।

(बंदना देवरी)

आयुक्त

C.No. VIII (29) 01/CUS/TECH/2001

|24124-45(A)

dated

30 NOV 2017

प्रति सूचना हेतु:

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग ।
2. आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय, अगरतला/ आइज़ल/डिब्रूगढ़/ईटानगर/दिमापुर/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ करीमगंज/ शिलांग
3. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला/ आइज़ल/धुबरी/दिमापुर/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ करीमगंज/ शिलांग से निवेदन किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी संबंधितों को सूचित करें।
4. उप आयुक्त / सहायक आयुक्त , मोरेह एलसीएस, अगरतला एलसीएस एवं आईसीडी अमिन गाँव.
5. अधीक्षक , कंप्यूटर सेल, सीमा शुल्क, शिलांग को इस जन सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
6. गार्ड फाइल ।



(वंदना देवरी)  
आयुक्त